UPGK010020142026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–897 / 2026

1–विशाल यादव पुत्र शिव प्रसाद यादव,
2–जगदीश यादव उर्फ पिन्टू पुत्र शिवनरायन यादव,
3–मुकेश यादव पुत्र शिव चरन यादव,
निवासीगण–छितौना बुजुर्ग, थाना बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।

.....आवेदकगण / अभियुक्तगण,

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी,

मु0अ0सं0 74 / 2026
धारा–191(2), 191(3), 352, 109(1), 324(4) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर।

आदेश

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदकगण / अभियुक्तगण विशाल यादव, जगदीश यादव उर्फ पिन्टू व मुकेश यादव, जो मु0अ0सं0 74 / 2026 धारा–191(2), 191(3), 352, 109(1), 324(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना–बड़हलगंज, जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा प्रशान्त सिंह व भूपेन्द्र यादव दिनांक 14.02.2026 को बारात जीयनपुर के समीप गये थे। बारात में कुछ लोगों से आपस में कहा–सुनी हो गई। दिनांक 14.02.2026 को रात करीब 12.00 बजे के लगभग जब वादी मुकदमा प्रशान्त सिंह व भूपेन्द्र सिंह बारात से वापस घर आ रहे थे तभी अचानक से गॉव के समीप पहले से घात लगाये बैठे जगदीश यादव, मुकेश यादव, विशाल यादव, कृष्णा यादव, अंश यादव व उनके अन्य सहयोगीगण एक साथ मिलकर हाथ में राड, हाकी व पंच लेकर गाली देते हुए वादी प्रशान्त सिंह व भूपेन्द्र सिंह के उपर जापन से मारने की नीयत से हमला कर दिये, जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आई और खून से लथपथ कर दिये। मौके पर वादी प्रशान्त सिंह व भूपेन्द्र सिंह बेहोश हो गये तथा उनकी चार पहिया वाहन को भी चकनाचूर कर दिया गया।

प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना की गई। आहत प्रशान्त सिंह का सी.एच.सी. बड़हलगंज पर चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। चिकित्सीय परीक्षण आख्या में उसके शरीर पर

निम्न चोटें पाई गई–

1. Stitched wound of size 6 cm x 0 cm x 0 cm with 9 stiches over occipital region of head 8 cm posterior to right ear.
2. Brownish abrasion of size 7 cm x 3 cm over left shoulder region 5 cm medial to shoulder tip.
3. Contused bluish swelling of size 4 cm x 4 cm over right side of chest 12 cm below arm pit, advice X-Ray chest PA.

आहत प्रशान्त सिंह के शरीर पर आई चोट संख्या–3 के लिये उसे एक्सरे हेतु जिला चिकित्सालय, गोरखपुर सन्दर्भित किया गया। आहत प्रशान्त सिंह की एक्सरे रिपोर्ट में उसीने दाहिने के दाहिने तरफ 6, 7 व 8 नम्बर की पसली में फ्रैक्चर आना पाया गया है।

आहत भूपेन्द्र यादव को प्रतिमा न्यूरो सांइसेज एण्ड मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल, गोरखपुर में ईलाज हेतु भर्ती कराया गया। उक्त हास्पिटल की समरी विवेचक द्वारा केस डायरी पर दाखिल की गई है जिसमें मुख्य रूप से यह उल्लिखित है कि–

Patient Bhupendra Yadav Admitted to the hospital on date 15/02/2026 at 05:35 am with the history of alleged assault on date 15/02/2026 time 00:30 am with h/o LOC + Vom + Sz - Scalp Wound present in GCS E2V2M5 with left upper arm and lower limb weakness present (0/5 power) and bone fracture high frontal-parietal region with brain matter leak. Patient operated for Rt fronto-parietal debridement craniectomy and repair of dura with underlying contusion evacuation on 15/02/2026 at 10:00 am Patient is kept in ICU after surgery and his post operative status is satisfactory at present.

आहत भूपेन्द्र यादव के सिर का सी0टी0स्कैन कराया गया। आहत भूपेन्द्र यादव के सी0टी0स्कैन रिपोर्ट में यह उल्लिखित है कि –

Post operative changes with fracture is seen in the right top fronto-parietal bone with overlying soft tissues swelling. Surgical emphysema and drain with underlying hemorrhagic corting subcortical contusion (53 x 28 mm) with edema along with subarachnoid bleed. Air is seen in the anterior part of the right anterior cranial fossa.

3– आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष है तथा उन्होनें कोई अपराध कारित नहीं किया है। कथित घटना का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी नहीं है। आवेदक का कोई विशेष कृत्य नहीं

दर्शाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व आघात आख्या का आपस में कोई सामन्जस्य नहीं है। सत्यता है कि दिनांक 14.02.2026 को बारात की भीड़ में जगदीश का पैर प्रशान्त सिंह के पैर पर पड़ गया इसी बात को लेकर प्रशान्त सिंह व सुशान्त सिंह गाली–गुप्ता व जान से मारने की धमकी देने लगे। उसी विवाद को लेकर प्रशान्त सिंह, भूपेन्द्र यादव व उनकी ओर से अन्य लोगों ने द्वारा आवेदकगण के उपर हमला कर दिया गया जिससे उन्हें गम्भीर चोटें आई तथा जगदीश का सिर फट गया और वह मौके पर बेहोश हो गया। आवेदकगण प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 19.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उपरोक्त वर्णित आधारों पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गई है।

4– उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए कथन किया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से वादी मुकदमा प्रशान्त सिंह व भूपेन्द्र यादव को मार–पीट कर गम्भीर एवं प्राणघातक उपहति कारित की गई। जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

5– मैंने आवेदकगण/अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6– आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित है। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा आहतगण प्रशान्त सिंह व भूपेन्द्र यादव का बयान अन्तर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किया गया है, जिसमें उन्होनें प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित कथनों का समर्थन करते हुए प्रस्तुत घटना में आवेदकगण/अभियुक्तगण की विशिष्ट भूमिका बतायी है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी प्रचलित है तथा साक्ष्य संग्रह की कार्यवाही शेष है। मामले के गुण–दोष पर अपना कोई मत व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

7– निष्कर्षतः आवेदकगण/अभियुक्तगण विशाल यादव, जगदीश यादव उर्फ पिन्टू व मुकेश यादव की तरफ से प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.Code No. 1889

दिनांक–10.03.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.10 16:31:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court